रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1627] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 22, 2012/श्रावण 31, 1934
No. 1627] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 22, 2012/SHRAVANA 31, 1934

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1939(अ).— राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री संजीव गुप्ता, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश (टाडा), जम्मू को एन आई ए विशेष न्यायालय अर्थात जम्मू एवं कश्मीर में टाडा/पोटा के तहत अभिनिर्धारित न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है, जहां से श्री संजय परिहार जिन्हें दिनांक 9 जनवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44 (अ) के तहत उक्त एन आई ए विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, का स्थानांतरण हो गया है।

[फा. सं. 17011/50/2009 आई एस.VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Internal Security-I Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1939(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby appoints Shri Sanjeev Gupta, 3rd Additional Sessions Judge, (TADA) Jammu, as "**Judge**" to preside over the NIA Special Court, i.e., the Designated Court under TADA/POTA at Jammu and Srinagar, consequent upon the transfer of Shri Sanjay Parihar who was appointed as a Judge to preside over the said NIA Special Court vide notification number S. O. 44 (E) dated the 9th January, 2012,

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1940(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए बम विस्फोट न्यायालय, चेन्नई को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2163 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण तमिलनाडु राज्य था;

और जबकि, मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री थिरू के. दक्षिणमूर्ति, प्रथम अपर न्यायाधीश (टाडा) के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री थिरू के. दक्षिणमूर्ति, प्रथम अपर न्यायाधीश (टाडा) सिटी सिविल न्यायालय, चेन्नई को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009 आई एस.VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1940(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Bomb Blast Court, Chennai as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Tamil Nadu, vide its notification number S. O. 2163 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madras has recommended the name of Thiru K. Dakshinamoorthy, 1st Additional Judge (TADA), City Civil Court, Chennai, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Thiru K. Dakshinamoorthy, 1st Additional Judge (TADA), City Civil Court, Chennai as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1941(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय,

पुदुचेरी को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2162 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री थिरू सी. एस. मुरूगन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुदुचेरी के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री थिरू सी. एस. मुरूगन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश, पुदुचेरी को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए **"न्यायाधीश"** के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009 आई एस.VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1941(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Principal District and Sessions Court, Puducherry as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the Union territory of Puducherry vide notification number S. O. 2162 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madras has recommended the name of Thiru C. S. Murugan, Principal District and Sessions Judge, Puducherry, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Thiru C. S. Murugan, Principal District and Sessions Judge, Puducherry as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1942(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2145 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण त्रिपुरा राज्य था;

और जबकि, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री बी. मजूमदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री बी. मजूमदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम त्रिपुरा, अगरतला को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009 आई एस.VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1942(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of District and Sessions Judge, West Tripura, Agartala as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Tripura vide notification number S. O. 2145 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Guwahati has recommended the name of Shri B. Majumdar, District and Sessions Judge, West Tripura, Agartala, to preside over the said Special Court;

3168 GI/12-2

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri B. Majumdar, District and Sessions Judge, West Tripura, Agartala as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1943(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए गुवाहाटी स्थित विशेष न्यायाधीश का विशेष न्यायालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, असम को दिनांक 1 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2215 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण असम राज्य था;

और जबकि, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री एच. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कामरूप, गुवाहाटी के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एच. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कामरूप, गुवाहाटी को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009--आई एस.VI (IV)]
धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1943(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Special Court of the Special Judge, Central Bureau of Investigation, Assam at Guwahati as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of

Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Assam vide notification number S. O. 2215 (E), dated the 1st September, 2009;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Guwahati has recommended the name of Shri H. K. Sharma, District and Session Judge, Kamrup, Guwahati, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri H. K. Sharma, District and Sessions Judge, Kamrup, Guwahati as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1944(अ).— **जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, दीमापुर को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2146 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण नागालैण्ड संघ राज्य क्षेत्र था;**

और जबकि, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री एस. हुकातो स्वू, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दीमापुर के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एस. हुकातो स्वू, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दीमापुर को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009 आई एस.VI (IV)]
धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1944(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of District and Sessions Judge, Dimapur as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Nagaland vide notification number S. O. 2146 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Guwahati has recommended the name of Shri S. Hukato Swu, District and Sessions Judge, Dimapur, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri S. Hukato Swu, District and Sessions Judge, Dimapur as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1945(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, आइजोल को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2147 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण मिजोरम राज्य था;

और जबकि, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री पु टी. सैकुन्गा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आइजोल के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री पु टी. सैकुन्गा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आइजोल को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009 आई एस.VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1945(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of District and Sessions Judge, Aizawl as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Mizoram vide notification number S. O. 2147 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Guwahati has recommended the name of Shri Pu T. Saikunga, District and Sessions Judge, Aizawl, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Pu T. Saikunga, District and Sessions Judge, Aizawl as a "**Judge**" to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1946(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, शिलांग को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2148 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण मेघालय राज्य था;

3168 GI/12-3

और जबकि, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्रीमती बी. गिरि, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिलांग के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्रीमती बी. गिरि, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिलांग को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए **"न्यायाधीश"** के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस.VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1946(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of District and Sessions Judge, Shillong as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Meghalaya vide notification number S. O. 2148 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Guwahati has recommended the name of Smt. B. Giri, District and Sessions Judge, Shillong, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Smt. B. Giri, District and Sessions Judge, Shillong as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1947(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, यूपिया, इटानगर को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2150 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण अरूणाचल प्रदेश राज्य था;

और जबकि, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री नानी ग्रायू, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, यूपिया, इटानगर के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री नानी ग्रायू, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, यूपिया, इटानगर को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए **"न्यायाधीश"** के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस.VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1947(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of District and Sessions Judge, Yupia, Itanagar as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Arunachal Pradesh vide notification number S. O. 2150 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Guwahati has recommended the name of Shri Nani Grayu, District and Sessions Judge, Yupia, Itanagar, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Nani Grayu, District and Sessions Judge, Yupia, Itanagar as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1948(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, मणिपुर ईस्ट, इम्फाल को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2149 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण मणिपुर राज्य था;

और जबकि, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री फ. सुरेन्द्र सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मणिपुर ईस्ट, इम्फाल के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री फ. सुरेन्द्र सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मणिपुर ईस्ट, इम्फाल को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए **"न्यायाधीश"** के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009 आई एस.VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1948(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of District and Sessions Judge, Manipur East, Imphal as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Manipur vide notification number S. O. 2149 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Guwahati has recommended the name of Shri Ph Surendra Singh, District and Sessions Judge, Manipur East, Imphal, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri Ph Surendra Singh, District and Sessions Judge, Manipur East, Imphal as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1949(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए कोचि स्थित विशेष न्यायाधीश का विशेष न्यायालय-II, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केरल को दिनांक 14 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 3205 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण केरल राज्य था;

और जबकि, केरल उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री एस. विजय कुमार, विशेष न्यायाधीश, (एस पी ई/सी बी आई)-II/अपर जिला न्यायाधीश-IV), इरनाकुलम के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एस. विजय कुमार, विशेष न्यायाधीश, (एस पी ई/सी बी आई)-II/अपर जिला न्यायाधीश-IV), इरनाकुलम को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए **"न्यायाधीश"** के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009 आई एस.VI (IV)]
धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1949(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Special Court-II of

the Special Judge, Central Bureau of Investigation, Kerala at Kochi as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the State of Kerala vide notification number S. O. 3205 (E), dated the 14th December, 2009;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Kerala has recommended the name of Shri S. Vijayakumar, Special Judge, (SPE/CBI)-II/Additional District Judge-IV, Ernakulam, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Shri S. Vijayakumar, Special Judge, (SPE/CBI)-II/Additional District Judge-IV, Ernakulam as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2012

का.आ. 1950(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायाधीश-IV-सह-प्रभारी, अपर सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली पुलिस जिला, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली को दिनांक 19 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 879 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली था;

और जबकि, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्री एच. एस. शर्मा, जिला न्यायाधीश एवं प्रभारी, अपर सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली पुलिस जिला, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली के नाम की संस्तुति की है;

अतः, अब, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा

श्री एच. एस. शर्मा, जिला न्यायाधीश एवं प्रभारी, अपर सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली पुलिस जिला, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस.VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2012

S.O. 1950(E).— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of District Judge-IV-cum-Additional Sessions Judge in-charge, New Delhi Police District, Patiala House Courts, New Delhi as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the National Capital Territory of Delhi vide notification number S. O. 879 (E), dated the 19th April, 2010;

And whereas, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Delhi has recommended the name of Mr. H. S. Sharma, District Judge & Additional Sessions Judge I/C, New Delhi Police District, Patiala House Courts, New Delhi, to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central Government hereby appoints Mr. H. S. Sharma, District Judge & Additional Sessions Judge I/C, New Delhi Police District, Patiala House Courts, New Delhi as a **"Judge"** to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.